NDIS Quality and Safeguards Commission

कोरोनावायरस (COVID-19): एन डी आई एस प्रतिभागी सूचना

हमें लगता है कि आप में से कई लोग अपनी व्यक्तिगत भलाई और NDIS के माध्यम से आवश्यक सहायताएं मिलेंगी कि नहीं, इस बात को लेकर व्यग्र और चिंतित होंगे।

हम NDIS सेवा प्रदाताओं के साथ काम कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि आपको सहायता और सेवाओं को प्रदान करते समय उन्हें क्या करना है।

प्रमुख बिंदु

- हम सेवा प्रदाताओं के साथ काम कर रहे हैं ताकि वे समझ सकें कि आपको समर्थन देने के लिए उन्हें क्या करने की आवश्यकता है।
- COVID-19 से ऑस्ट्रेलिया में बड़ी संख्या में लोगों के प्रभावित होने की आशंका है। परिणामस्वरूप, NDIS द्वारा प्रदत्त आपकी सहायता और सेवाओं में कुछ अपरिहार्य परिवर्तन किये गए हैं।
- इसका मतलब यह हो सकता है कि:
    - कोई दूसरा कार्यकर्ता आपके लिए NDIS सहायताओं और सेवाओं को प्रदान कर सकता है
    - कुछ सहायताओं और सेवाओं को बदलने या अस्थायी रूप से स्थगित करने की आवश्यकता हो सकती है
    - एक अलग तरीके से सहायता प्रदान कर सकता है (उदाहरण के लिये, स्काइप)
    - कुछ स्थान, जहाँ आप सामान्य रूप से जाते हैं बंद हो सकते हैं, जैसे सिनेमा।

यह महत्वपूर्ण है कि आप सुरक्षित रहें। यदि आपको NDIS की सहायता या सेवाएँ वहां प्राप्त होती हैं, जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं, तो उन सेवाओं और सहायताओं को बदलना होगा। एक स्थान पर बहुत सारे लोग वायरस को पकड़ने का जोखिम बढ़ा सकते हैं।

यह भी महत्वपूर्ण है कि आप सावधानी से निर्णय लें कि आप किससे मिलते हैं और कहां जाते हैं। ऐसा आप स्वयं को और उन लोगों को बचाने के लिए करें, जिन्हें वायरस को पकड़ने की संभावना अधिक हो सकती है।

NDIS प्रतिभागियों की अपेक्षाएँ

आपको उम्मीद कर सकते हैं कि आपके प्रदाता निम्नलिखित बातों में आपकी सहायता करने का पूरा प्रयास करेंगे:

- वे आपको वायरस संक्रमित होने के अनावश्यक जोखिम से सुरक्षित रखेंगे। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे कार्यकर्ताओं को अपने हाथ धोने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में पता है।
- वे आपको बताएंगे कि क्या आपकी सहायता सेवा में कोई बदलाव आया है, उदाहरण के लिए आप नियमित गतिविधियों में जा सकते हैं या नहीं ।

- उन सहायताओं और सेवाओं को बनाए रखना, जिन पर आप अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भरोसा करते हैं।

हम NDIS प्रदाताओं को यह समझने में मदद करने के लिए जानकारी दे रहे हैं कि उन्हें क्या करने की आवश्यकता है, और आपकी सहायता करते समय आपको कैसे सुरक्षित रखना है।

यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने सेवा प्रदाताओं से जुड़े रहें। यदि आप आइसोलेशन यानि अलगाव में हैं, तो अपने प्रदाताओं से पूछें कि वे सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए, या आमने-सामने की बैठकों के बिना आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं।

NDIS प्रतिभागियों के अधिकार

हमारे पास बहुत स्पष्ट एन डी आई एस कोड ऑफ कंडक्ट NDIS Code of Conduct और एन डी आई एस प्रैक्टिस मानक NDIS Practice Standards हैं, जिनका आपके प्रदाताओं और कार्यकर्ताओं को पालन करना चाहिए।

ये स्टैंडर्ड (मानक) वर्तमान स्थिति में भी लागू होते हैं।

अपने सेवा प्रदाता के बारे में शिकायत कैसे करें

यदि आप असुरक्षित महसूस करते हैं या अपनी सहायताओं और सेवाओं की गुणवत्ता से नाखुश हैं - और ये मुद्दे COVID-19 से संबंधित हैं या नहीं - यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप अपनी चिंताओं के बारे में हमसे बात कर सकते हैं। अपनी बात कहना हमेशा ठीक रहता है।

यदि आप न्यू साउथ वेल्स, साउथ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टैरेटरी, नॉर्दन टैरेटरी, क्वींसलैंड, विक्टोरिया या तस्मानिया में हैं, तो आप हमें निम्नलिखित तरीके से शिकायत कर सकते हैं:

- फोन करके: 1800 035 544 (लैंड लाइन से निःशुल्क) अथवा TTY 133 677 पर। दुभाषिये की व्यवस्था भी की जा सकती है।
- National Relay Service से सम्पर्क करके और 1800 035 544 पर बात करें।
- शिकायती फॉर्म भर के complaint contact form.

यदि आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हैं तो 30 नवंबर 2020 तक HADSCO से संपर्क करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

NDIA से प्रतिभागी संसाधन

NDIA की वेबसाइट पर COVID-19 के संबंध में NDIS प्रतिभागियों की जानकारी information for NDIS participants है। इसमें इज़ी रीड Easy Read संसाधन, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न frequently asked questions और NDIA की COVID-19 के बारे में प्रतिक्रिया सम्बन्धी जानकारी शामिल हैं।

NDIA आपको अपने प्रदाता के साथ बातचीत करने की सलाह देता है, कि किस सहायता और सेवा की आपको सबसे अधिक जरूरत है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रदाता के पास आपकी सहायता जारी रखने के लिए एक योजना है।

यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है या किसी सलाह की आवश्यकता है, तो कृपया 1800 800 110 पर NDIA के संपर्क केंद्र से संपर्क करें।

इस बारे में अधिक जानकारी, एलर्ट और संसाधन

COVID-19 के बारे में नवीनतम समाचार, अपडेट और सलाह के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार Australian Government की वेबसाइट पर जाएँ।

COVID-19 की जानकारी के लिए स्वास्थ्य विभाग Department of Health website की वेबसाइट पर जाएँ। यदि आप COVID-19 के संपर्क में आने के बारे में चिंतित हैं, तो आपको **1800 020 080** पर स्वास्थ्य कोरोनावायरस हॉटलाइन विभाग से संपर्क करना चाहिए।

NDIS आयोग के COVID-19 प्रतिभागी सूचना वेब पेज COVID-19 participant information webpage में अपडेट, प्रशिक्षण, अलर्ट और अन्य संसाधनों के लिंक शामिल हैं।